"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 फरवरी 2006—माघ 21, शक 1927

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2006

अधिसूचना

क्रमांक/60/पं/22/2006.—छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) सहपठित धारा 70 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षा कर्मी (भरती तथा सेवा की शर्तें) नियम 1997 में निम्नलिखित संशोधन करती है जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में ;-

1. नियम 2 के खंण्ड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (ट) अंत:स्थापित किया जाय, अर्थात् :-

"मूल्यांकन समिति से अभिप्रेत है अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों को छानबीन करने हेतु गठित मूल्यांकन समिति।"

2. नियम 5 के उपनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय :–

" विहित प्रपत्र में प्राप्त आवेदनों को छानबीन करने हेतु मूल्यांकन समिति गठित की जावेगी,

(क) शिक्षा कर्मी वर्ग 1 एवं वर्ग 2 से संबंधित आवेदन पत्रों की छानबीन हेतु समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत), संयुक्त/उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, जिला शिक्षा अधिकारी तथा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास होंगे ।

(ख) शिक्षा कर्मी वर्ग 3 की मूल्यांकन समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत), विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी/सहायक महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक होंगे।

(ग)प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन करने के पश्चात् प्रवर्गवार योग्यता सूची उपनियम (9) (एक) के अधीन अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंको के आधार पर तैयार की जायेगी । मूल्यांकन समिति द्वारा योग्यता सूची, अभ्यर्थियों के योग्यता कम में जिला/जनपद पंचायत के सूचना फलक पर प्रकाशित की जायेगी ।

(घ) यदि योग्यता सूची के प्रकाशन के तीन दिवस के भीतर इस संबंध में आपत्ति प्राप्त होते हैं तो मूल्यांकन समिति उसका निराकरण करेगी एवं संशोधित योग्यता सूची यदि आवश्यक है, उसका प्रकाशन जिला/जनपद पंचायत के सूचना फलक पर की जावेगी एवं ऐसी सूची चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी ।

(ड.) रिक्तियों के आधार पर चयन समिति प्रत्येक प्रवर्ग के लिए एक अलग सूची तैयार करेगी एवं ऐसे प्रवर्ग के रिक्तियों की संख्या से तिगुनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा ।

(च) समिति के दो शासकीय सदस्य द्वारा अभ्यर्थियों के संशापत्र का सत्यापन किया जाएगा जैसी कि समिति द्वारा इस निमित विहित किया जाय । "

3. नियम 5 के उपनियम (9) के खण्ड (1)के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :–

" (1) मूल्यांकन समिति अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की छानबीन के पश्चात् निम्नलिखित रीति से अंक देगी :–

(क) अनुसूची– दो में विनिर्दिष्ट की गयी अर्हता परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा अभिप्राप्त कुल अंको का 70% ।

टीप :– व्यवसायिक पाठ्यकमों के अभ्यर्थियों को वरीयता (वेटेज), सैद्धांतिक/लिखित परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर ही दी जायेगी।

(ख) शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र, जनभागीदारी स्कूलों, डी.पी.ई.पी., वैकल्पिक स्कूलों, औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत सहायता प्राप्त तथा जनपद पंचायत या जिला पंचायत से संबंधित मान्यता प्राप्त ग्रामीण स्कूलों में शिक्षण अनुभव के लिए 10 अंक,

1. एक वर्ष के अनुभव के लिए – 3 अंक
2. दो वर्ष के अनुभव के लिए – 6 अंक
3. तीन वर्ष या उससे अधिक के लिए – 10 अंक

शिक्षण के अनुभव के प्रमाण पत्र को विधि मान्यता तथा सत्यता पर सामान्य प्रशासन समिति का विनिश्चय अंतिम होगा।

(ग) 1. बी.एड./बी.टी.आई./डी.एड. प्रमाण पत्र के लिये – 8 अंक
2. स्काउट और गाईड/ एन.सी.सी. प्रमाण पत्रों के लिये – 2.5 अंक
3. खेल के लिये (अंतर जिला या उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिये) – 4.5 अंक

(घ) एकल रिक्ति के मामले में यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समान अंक प्राप्त किये जाने की दशा में उनमें से अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी ।"

4. नियम 5 के उपनियम (9) के खण्ड (एक) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड (एक–क) अंतःस्थापित किया जाय ; –

" (एक–क) चयन समिति साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों को नीचे दर्शित रीति से अंक देगी :–

मौखिक साक्षात्कार के लिये 5 अंक, निम्नलिखित विषय पर होंगे :–

(एक) स्थानीय भाषा में बातचीत करने की दक्षता.

(दो) स्थानीय परिवेश की जानकारी

(तीन) सामान्य ज्ञान

(चार) शिक्षण तथा प्रशिक्षण के प्रति रूचि

(पांच) कोई अन्य परीक्षण जिसे चयन समिति उचित समझे ।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, संयुक्त-सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2006

क्रमांक /पंग्राविवि/2006/59.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षा कर्मी (भरती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1997 में संशोधन बाबत अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, संयुक्त-सचिव.

Raipur, the 8th February 2006

NOTIFICATION

No. / 60 / P / 22 / 2006.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-95 read with sub-section (1) of section-70 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No.1 of 1994) the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Panchayat Shiksha Karmi (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1997 the same having been previously published as required by the sub-section (3) of the section-95 of the said Act, namely:-

AMENDMENT

In the said rules :-

1. After clause (J) of rule 2 the following clause (K) shall be inserted namely; -

   "Evaluation committee" means "The Committee constituted to scrutinize the applications received from candidates in prescribed proforma".

2. For sub-rule (7) of rule 5, the following sub-rule shall be substituted;-

   "Evaluation committee shall be constituted to scrutinize the applications received in prescribed proforma.

   (a) The committee for the scrutiny of the application related to Shiksha Karmi Grade I and Grade II, shall consist of Chief Executive officer (Zila Panchayat), Joint/Deputy Director, Panchayat & Social Welfare, District Education Officer and Assistant Commissioner, Tribal Development.

   (b) The evaluation committee for Shiksha Karmi Grade III, shall consist of Chief Executive officer (Janpad Panchayat), Block Education Officer, Project Officer/Assistant Project Officer of Women & Child Development and Panchayat & Social Education organizer.

(c) After scrutiny of the applications received, category-wise merit list shall be prepared on the basis of marks obtained by the candidates under sub-rule (9) (i). The merit list shall be published by the Evaluation Committee on the notice board of Zila/Janpad Panchayat in order of merit of the applicants.

(d) If objections are made relating to merit list within 3 days, such shall be decided by the evaluation committee and amended list if required shall be published on the notice board of the Zila/Janpad Panchayat and same shall be submitted before the selection committee.

(e) The selection committee shall prepare a separate list of each category on the basis of number of vacancies and three times of the vacancies of such category, candidates shall be called for interview.

(f) Testimonial of candidates shall be verified by two Government official members of the Committee as directed in this behalf by the committee."

3. For clause (1) of sub-rule (9) of rule 5, the following shall be substituted.

"(1) After scrutiny of the applications of candidates the Evaluation Committee shall allot marks in the following manner: -

(a) 70% marks of the total marks obtained by the candidate in the qualifying examination specified in Schedule-II.

Note : The weightage to candidates of professional courses must be given on the basis of marks obtained in theory/written examination.

(b) 10 marks for teaching experience in Shiksha Guarantee Scheme Center, Janbhagidari Schools, D.P.E.P. Alternative schools, Non-formal Education Center, Hundred percent aided State Government and

recognised rural schools of concerned Janpad Panchayat or Zila Panchayat on following basis;-

1.	Experience of one year	-	3 marks.
2.	Experience of two years	-	6 marks.
3.	Experience of three years and above	-	10 marks.

The decision of the General Administrative Committee on the validity and genuineness of the certificate of teaching experience shall be final.

(c) 1. 8 marks for certificate of BEd/BTI/DEd.

2. 2.5 marks for certificate of Scout and guide/N.C.C.

3. 4.5 marks for sports (for participation in inter district or higher competitions).

(d) In case of single vacancy if marks obtained by two or more candidates are equal then preference shall be given to the candidate eldest in age amongst such.

4. After clause (i) of sub rule (9) of Rule 5, following clause (i-A) shall be inserted; -

"(i-A) Selection committee shall award marks in interview on the following manner: -

5 marks for Viva-voice on following subjects,-

(i) Communication skills in local dialect.

(ii) Knowledge of local environments.

(iii) General knowledge.

(iv) Training and teaching aptitude.

(v) Any other test which the selection committee thinks deem fit."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANJAY GARG, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.